

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:शिविरा-प्रारं/संस्था-राप/16203/एपीओ/2016 दिनांक 15.06.2017 द्वारा श्री नाहर सिंह, बीईईओ, उदयपुरवाटी (झुंझनू) को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में (एपीओ) किया गया एवं इस आदेश के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझनू द्वारा आदेश क्रमांक: जिशिअ/प्रारं/झुं/निजी/2017/960-970 दिनांक 15.06.2017 को मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर हेतु कार्यमुक्त किया गया।

उक्त दोनों आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा याचिका संख्या-13138/2017 श्री नाहर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 10.08.2017 को जारी आदेश की पालना में माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन प्रत्याहारित किया जाता है।


निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/संस्था-राप/याचिका सं.-13138/2017/नाहर सिंह/2017/ दिनांक: 15/9/2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त आदेश तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा याचिका संख्या-13138/2017 श्री नाहर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 10.08.2017 को जारी आदेश की प्रति संलग्न कर लेख हैं कि श्री नाहर सिंह को बीईईओ, उदयपुरवाटी (झुंझनू) के लिये कार्यमुक्त करावें।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय (कार्यालय हाजा)।
5. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
6. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग (कार्यालय हाजा) को उक्त आदेश व कार्यालय टिप्पणी की प्रति तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा याचिका संख्या-13138/2017 श्री नाहर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 10.08.17 को जारी आदेश की प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
10. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. संबंधित कार्मिक
12. रक्षित पत्रावली।


निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।